

मध्यप्रदेश शासन  
सामाजिक न्याय विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

निःशक्त कल्याण अभियान

परिपत्र क्रं. 1

क्रमांक  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29.03.2011

1. समस्त संभागायुक्त,  
मध्यप्रदेश।
2. समस्त कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश।
3. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक,  
सामाजिक न्याय विभाग।

विषय:--निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु विशेष अभियान प्रारंभ करने के संबंध में।

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अंतर्गत परिभाषित सभी प्रकार के निःशक्त व्यक्तियों की पहचान, स्वास्थ्य परीक्षण, प्रमाणीकरण तथा उनके पुनर्वास हेतु तीन चरणों में एक विशेष अभियान चलाया जाना है। इस हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. प्रथम चरण में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निःशक्तों की पहचान की जायेगी। यह प्रथम चरण स्पर्श अभियान की तिथि दिनांक 8 अप्रैल 2011 से प्रारंभ होकर 30 अप्रैल 2011 तक चलेगा। माह अप्रैल की 14 तारीख को होने वाली विशेष आम सभा की बैठक में इस अभियान को एजेंडे के रूप में रखते हुए सभी ग्रामीण जनों को कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराया जाये। इसी तरह की व्यवस्था जो कलेक्टर उचित समझे शहरी क्षेत्र के लिए भी तैयार करें।
2. द्वितीय चरण में विकास खण्ड स्तर पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाये जिसमें निःशक्तजनों से संबंधित सभी चिकित्सा विशेषज्ञ सम्मिलित रहेंगे। यह अभियान 1 मई 2011 से 30 मई 2011 के मध्य चलेगा। इसकी तिथि चिकित्सा विशेषज्ञों की उपलब्धता को देखते हुए कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जायेगी।
3. तृतीय चरण के अंतर्गत जिला स्तर पर निःशक्त मेला आयोजित किया जायेगा। यह केवल निःशक्तजनों के लिए ही रहेगा तथा अन्य किसी वर्ग के लिए कोई भी कार्यक्रम इसमें नहीं जोड़ा जायेगा। यह चरण दिनांक 5 जून 2011 से 30 जून 2011 के मध्य तक चलेगा। इन जिला स्तरीय मेलों में सुविधानुसार माननीय मुख्यमंत्रीजी

उपरिधत हों। आपके जिले के प्रभारी मंत्री मेले में उपस्थित रहेंगे। ऐसे जिले स्तरीय मेलों की तिथि का निर्धारण मान. मुख्यमंत्री सचिवालय से एवं प्रभारी मंत्रीजी के परामर्श कर निर्धारित की जाये।

4. प्रथम दो चरणों में चिन्हित एवं प्रमाणित हितग्राहियों के पुनर्वास के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाये। इस कार्य योजना के अंतर्गत जिन व्यक्तियों को सहायक उपकरण प्रदाय किया जाना है अथवा स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाना है, उनके लिये तृतीय चरण में आयोजित मेले में यह कार्य कर लिया जाये। लेकिन जिन के लिए दूरगामी पुनर्वास हेतु कार्य किया जाना है, उदाहरण स्वरूप शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं में प्रवेश दिलाना, ऐसे निःशक्त जिनके परिवार में कोई भी सदस्य देखरेख करने वाले नहीं है उनको आश्रमों में प्रवेश दिलाना तथा ऐसे निःशक्त जिनका उपचार किया जाना है, उनको चिकित्सालय में भर्ती करना, इत्यादि को देखते हुए जो कार्य योजना तैयार की जायेगी वह समयबद्ध हो ताकि उस समयसीमा में सभी चिन्हित निःशक्तों को पुनर्वासित किया जा सके।

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर बाधा रहित वातावरण निर्मित करने की दिशा में समय-समय पर सभी विभागों एवं कलेक्टरों को पत्र लिखा गया है। इस दिशा में भी इस विशेष अभियान के दौरान कार्य किया जाना चाहेये।

5. निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु इस विशेष अभियान हेतु रणनीति तैयार करने से पूर्व निम्नांकित अधिनियम/नियम का अध्ययन कर लिया जावे-

1. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम -1995
2. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम 1997
3. मध्यप्रदेश निराश्रित एवं निर्धन व्यक्ति की सहायता अधिनियम 1970
4. लीगल सर्विस ॲथारिटी एक्ट 1987
5. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण कल्याण अधिनियम 2007

6. राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता, और बहुनिःशक्ता समस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम 1999

7. मेन्टल हेल्थ एक्ट 1987

इस विशेष अभियान को कार्यान्वित करने हेतु आवश्यकतानुसार विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे। उनकी प्रतीक्षा न करते हुए ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं जो निःशक्तजनों के लिए कार्य करती हैं, उनके साथ भी एक बैठक आयोजित कर भागीदारी सुनिश्चित करें। जिला स्तर पर नियोजन समिति का गठन कर सभी तैयारियां करें। मरी ओर से सचिव, स्वास्थ्य एवं प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को विकास खण्ड स्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है।

उपरोक्त विशेष अभियान के संबंध में यदि आपके कोई सुझाव हों तो कृपया सचिव, सामाजिक न्याय विभाग के ई मेल [vk.batham@nic.in](mailto:vk.batham@nic.in) पर भेजें, जिनका समावेश अभियान हेतु दिशा-निर्देशों में किया जा सकेगा है।

(आर.परशुराम)

अपर मुख्य सचिव,  
म.प्र.शासन, सामाजिक न्याय विभाग

पृ०क्र०  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 29.03.2011

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश।
2. विशेष सहायक, समस्त माननीय मंत्रीगण, सामाजिक न्याय विभाग.
3. समस्त अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन।
4. स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश, वल्लभ भवन, भोपाल.
5. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण / चिकित्सा शिक्षा विभाग / स्कूल शिक्षा विभाग / उच्च शिक्षा विभाग / तकनीकी शिक्षा / महिला एवं बाल विकास / वित्त विभाग / गृह / परिवहन / नगरीय प्रशासन विभाग
6. सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
7. समस्त संभागीय आयुक्त
8. आयुक्त, सामाजिक न्याय
9. समस्त डीन, मेडीकल कॉलेज

(आर.परशुराम)

अपर मुख्य सचिव,  
म.प्र.शासन, सामाजिक न्याय विभाग

